भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 128

25.11.2024 को उत्तर के लिए

हाइड्रोकार्बन/गैस अन्वेषण परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी)

128. कु. सुधा आर.:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कावेरी डेल्टा जिलों, विशेषकर मयिलादुथुरई और तंजावुर में कितनी हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त जिलों में हाइड्रोकार्बन अथवा गैस अन्वेषण परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं और स्थानों की सूची क्या है और अन्वेषण हेतु अनुमति मांगने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा डेल्टा जिलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने के मद्देनजर डेल्टा जिलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने तथा तेल और गैस की अन्वेषण परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोई केन्द्रीय नीति है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा कावेरी डेल्टा जिलों, विशेष रूप से मयिलादुथुरई और तंजावुर में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं को कोई नई पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान नहीं की गई है। हालाँकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि को बढाया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 16.01.2020 की अधिसूचना के अनुसार, बी-2 श्रेणी के तहत हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की मांग करने वाले निम्नलिखित तीन प्रस्ताव एसईआईएए, तमिलनाडु के पास लंबित हैं:

(i) रामनाथपुरम जिले में सीवाई-ओएनएचपी-2018/3 ओएएलपी ब्लॉक में अन्वेषणात्मक कूपों की ड्रिलिंग के लिए मैसर्स ओएनजीसी का प्रस्ताव।

(ii) मैसर्स वेदांता लिमिटेड (डिवीजन कैर्न ऑयल एंड गैस), का प्रस्ताव सीवाई-ओएसएचपी-2017/2 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक जो कि तमिलनाडु में नागापट्टिनम और कुड्डालोर जिलों के तट पर और बंगाल की खाड़ी में पुडुचेरी के कराईकल जिले में स्थित है।

(iii) मैसर्स वेदांता लिमिटेड (डिवीजन केयर्न ऑयल एंड गैस), का प्रस्ताव सीवाई-ओएसएचपी-2017/1 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक जो कि तमिलनाडु के कुड्डालोर और विल्लुपुरम जिलों और बंगाल की खाड़ी में संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के तट पर स्थित है।

(ग): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत विशेष संरक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड)/पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में अधिसूचित करता है। तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, भारत में हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और इसके सहायक पीएनजी नियम, 1959 (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा शासित होता है, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

*****